

Ref No. KRA/C.C./B.R./2022-23/13

Date: - 23/ 04/2022

COMPLETION CERTIFICATE

of Development Works in “BHUMIJA RESIDENCY” RESIDENTIAL SCHEME

In Khasra No. 580, 580/1, 1284/581, 1286/583, At
Village Jaisinghpura Bas Bhankrota, Tehsil Sanganer,
District Jaipur (Rajasthan)

Developer Name:- M/s BHUMIJA REALSQUARE LLP


VINOD CHANDAK
Chartered Engineer
Membership No. AM1842717

KRASSOCIATE

Email Id:- krassociate.07@gmail.com

Phone No.+91 9799801708

CONTENTS

1. Introduction.....	3
2. Township Policy 2010:.....	3-5
3. Development Work:.....	6-6
4. Layout plan of scheme:.....	7-7
5. Satellite Image:.....	8-8
6. Annexure:	9
6.1 Images of development works at "Bhumija Residency" Residential Scheme.....	9-11
6.2 Completion Certificate:	11-13
6.3 Circulars.....	14-17


VINOD CHANDRA
Chartered Engineer
Membership No. AM1842717

1.) INTRODUCTION

The "Bhumija Residency" is a residential scheme located at khasra No. 580, 580/1, 1284/581, 1286/583, At Village Jaisinghpura Bas Bhankrota, Tehsil Sanganer, District Jaipur 302026 (Rajasthan). It falls in Zone 11 of JDA planning zone. The scheme is proposed over a land area of 11288.00 Sqm. As per Township Policy 2010, 03 Plots (Plot No. 01, 02 and 10) having Total area of 850.05 Sq. Mtrs equaling to 12.5% have been kept mortgage. These plots would be allotted after the internal development work is completed and development charges are deposited with Jaipur Development Authority. Since it is a plotted development project there is no parking details are required. The area distribution of the land use & the area analysis of the scheme is as follows:

S. No.	Land Use	Area (In Sqm.)	Percentage (%)
1.	Residential	6682.31	59.20%
2.	Retail	61.00	0.54%
Total = 1+2		6743.31	59.74%
3.	Park	564.64	5.00%
4.	S.W.M.	50.01	0.44%
5.	Mobile Tower	20.04	0.18%
6.	PU (TOILET)	10.00	0.09%
7.	ZDP Road	639.78	05.67%
8.	Road	3260.22	28.88%
Total = 3 To 8		4544.69	40.26%
Total Scheme Area		11288.00 (01.1288 Hect)	100.00%

2.) TOWNSHIP POLICY 2010:

The scheme is categorized as residential township which is envisaged under the Rajasthan Township Policy, 2010. The guidelines for approval / completion of internal development works as per the policy are as follow:

- In order to ensure quality development certain norms as mentioned below are being laid down. It is necessary that the developer should submit along with application for approval the following details:
 - (i) Layout plan showing details of area to be utilized under plots, built up space, roads, open space for park, garden and play ground and other public utility and amenities, services and facilities.
 - (ii) Details of nearby development (at least in the vicinity of 100 meters) along with its superimposition on sector plan.
 - (iii) Details of internal development works as per specifications mentioned below
 - (iv) Details of eco friendly amenities provided;
 - (v) Plan showing HFL of major lakes, water body, if any
- In Residential Schemes and other schemes internal development works such as Construction of roads, Laying of power line and Street lighting, Laying of Water lines, Development of Water Sources (Tube well), Ducting for road crossing, Construction and development of


VINOD CHANDRA
Chartered Engineer
Membership No. AM1842717

Parks and services area, Plantation along roads sides and parks shall be done by the developer only.

- Work for laying of sewer line, storm water drainage, overhead Water tanks shall be done by ULB at a combined level of various adjoining schemes for which necessary charges shall be paid by developer to the ULB as per details below:
 - (i) Laying of sewer lines - Rs.50/- Per Sq m. of total area.
 - (ii) Storm water drains - Rs. 40/- Per Sq m. of total area.
 - (iii) Construction of Over head tanks (optional for ULB) - Rs. 50/- Per Sqm. of total area

Note:

- I. The above amount is an average amount. However ULB may increase the charges of above items based on actual cost of the work. The above amount shall be deposited along with EDC at the time of issue of Patta.
- II. For ensuring internal development of the area, Patta / lease deed (Sale permission) of 12.5% of the saleable plots will be withheld by the ULB.
- III. In case of plot for group housing of size more than 2 hectares, 5% area of plot (an independent plot with proper approach) shall be surrendered to the ULB for facilities. For plot size less than 5 acres, amount equivalent to 5% of the area calculated at residential reserve price of that area shall be deposited with ULB.
- IV. In case of single Patta for Group Housing land for sector commercial shall not be surrendered to ULB.

• **Construction of Roads**

- (i) All the internal road networks including draft sector plan / master plan roads within the scheme are to be developed by the developer. The sector roads are to be accommodated.
- (ii) The internal roads should be minimum 9 meters wide where the length of the road is up to 100 meters and 12 meters wide where road length is more than 100 meters.
- (iii) However, as far as possible no row of plots should be more than 200 mtrs in length accept the sector plan / zonal plan / main arterial roads having width 18 M & above.

The technical specifications for road construction shall be as follows:

S.No.	Row	Paved width	Berms with (both side)
1.	6 meter	5.5 meter	0.0 meter
2.	7.5 meter	5.5 meter	1.0 meter
3.	9meter	5.5 meter	1.5 meter
4.	12meter	7.6 meter	2.5 meter
5.	18meter	5.5 meter (2 lane)	2.5 meter
6.	24meter and above	2 lane each 7.5 meters with divider	2.5 meter

- a) Level and the specifications shall be finalized by the ULB keeping the specifications laid down by IRC.
- b) Gradient shall be as per Indian Road Congress / CRRI.
- c) Granular Sub-base (200mm compacted)
- d) 1st layer WBM/WMM Base (230mm compacted)


VINOD CHANDAK
Chartered Engineer
Membership No. AM1842717

- e) 2nd layer Sand Bed (20-30mm compacted)
- f) 3rd layer Interlocked paver block (60-70mm Grade M30)

- **Power Supply and Street Lighting**

- a) The development of electrification, power network and power load requirement in any scheme shall be in accordance with the norms, rules & regulations of State electricity agency. After the completion of the electrification work, the developer shall handover the complete system to the concerned electricity distribution company.
- b) Street Lights – All the roads having above 18 meters width shall have divider as well as the street poles fixed on the divider having the provisions of underground cabling. Other roads will have streetlights on electric poles or single light poles erected on either side of the road. The distance between poles should not be more than 30 meters. The illumination levels of the roads shall be as per the standard of local electricity authority / National Building Code. After the completion of the street light work, the developer shall handover the complete system to the ULB / Maintenance Agency.

- **Water Supply**

All the water lines should be underground having a provision of providing connections to the plot. The sizes of water pipe should be per PHED norms. The scheme should have underground water tank as well as over head water tank as per PHED norms. The complete water supply shall be in accordance with the technical guidelines of the PHED. After the completion of the water supply scheme, the developer may hand over the laid distribution and storage system to the PHED/ULB/private operator.

- **Sewerage & Drainage**

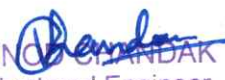
All the plots in the scheme should be well connected with the underground sewerage line with proper slope; the sewerage line should normally be located close to the boundary wall of the plots (within about 10 ft.) with a provision for connection of plots.

- **Horticulture & Plantation**

All roads should have plantation tree guards on both sides having minimum of 30 trees per acre of the gross area. Trees of 5 feet or more height should be planted. All the parks should be developed by the developer and maintained by the developer till the scheme is completed and handed over to ULB or to the Resident Welfare Society.

- **Rain water Harvesting and Water recycling**

Community rain water harvesting structures shall be constructed by developers. Similarly water recycling shall be provided as per Building Regulations and water from all water outlets and drainages should be collected for recycling for gardening, washing etc. by the ULB

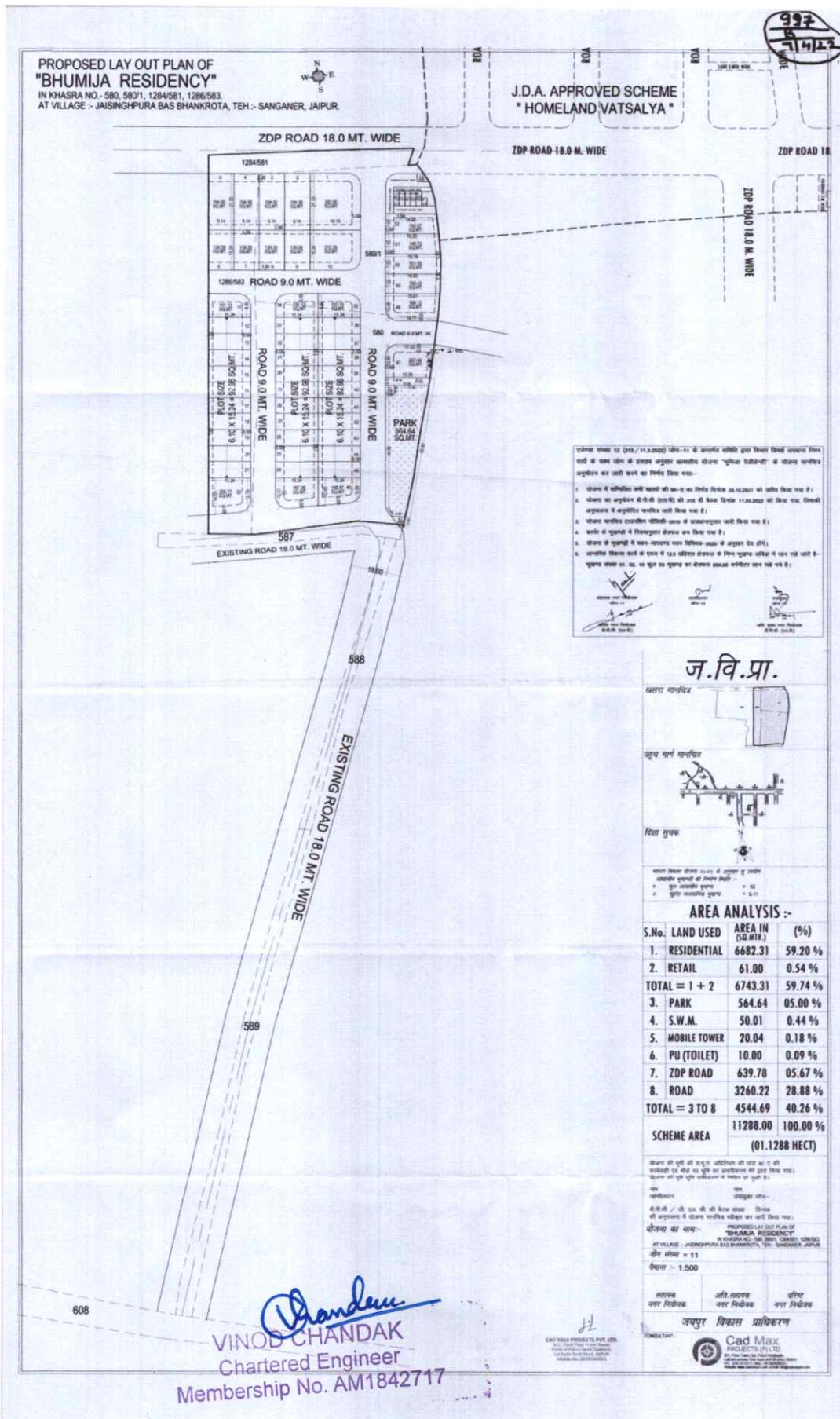

VINOD CHANDRA
Chartered Engineer
Membership No. AM1842717

3.) DEVELOPMENT WORK IN "BHUMIJA RESIDENCY" RESIDENTIAL SCHEME

Sl. No.	Heading	Status	% Of Work Done
1	SUB-BASE & SUB GRADE (1 st & 2 nd layer)	1 & 2 Layers complete	100%
	Interlocked paver block Grade M30, (3rd layer)	3 Layers complete	100%
2	Sewer Line	Completed	100%
3	Water supply First phase	Completed	100%
	Water supply Second phase	Completed	100%
4	Electrification	Completed	100%
5	Drainage & Water harvesting work	Completed	100%
6	Parks & facilities development	Completed	100%
7	Street light	Completed	100%
8	Tree plantation work	Completed	100%
9	Service duct pipe line in roads	Completed	100%
10	Status of overall development of scheme calculated with weight-age given to different works as per JDA norms	Completed	100.00%


 VINOD CHANDRA
 Chartered Engineer
 Membership No. AM1842717

4.) LAYOUT PLAN OF “BHUMIJA RESIDENCY” RESIDENTIAL SCHEME



5.) SATELLITE IMAGE OF "BHUMIJA RESIDENCY" RESIDENTIAL SCHEME

Co-Ordinates:- Latitude 568600.08 m E, Longitude 2969450.49 m N
Latitude 568652.04 m E, Longitude 2969448.63 m N
Latitude 568672.48 m E, Longitude 2969569.61 m N
Latitude 568616.23 m E, Longitude 2969566.86 m N



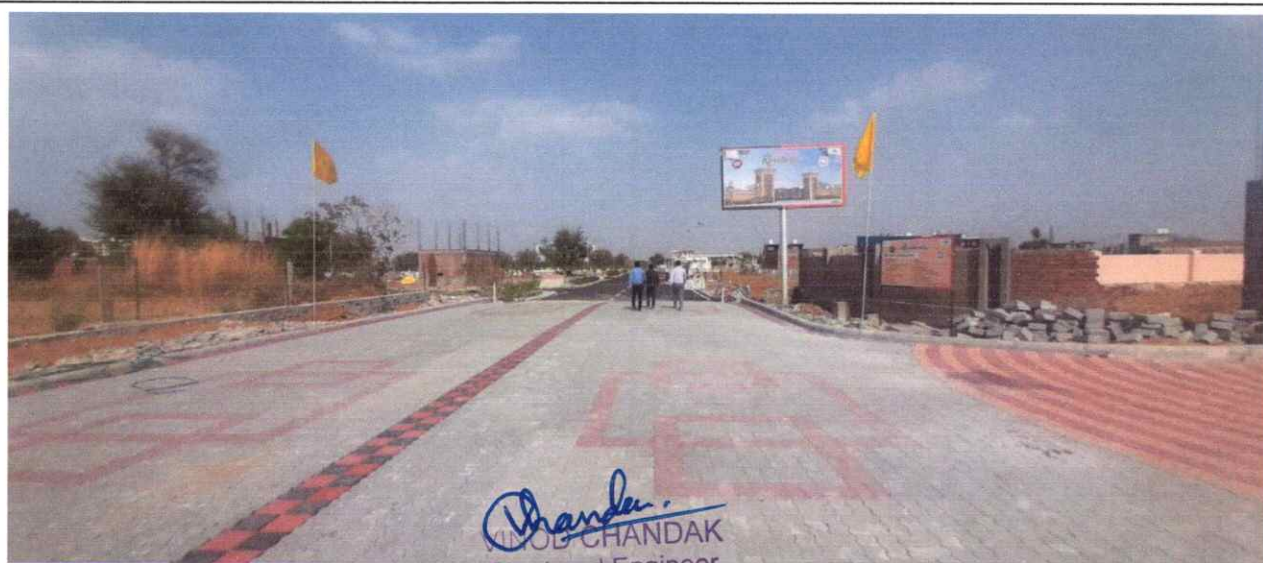
Chandak
VINOD CHANDAK
Chartered Engineer
Membership No. AM1842717

6.0) ANNEXURE:

6.1) Images showing the status of development works on site at "Bhumija Residency" Residential Scheme



Vinod Chandra
VINOD CHANDAK
Chartered Engineer
Membership No. AM1842717



Chandak
ANIL CHANDAK
 Chartered Engineer
 Membership No. AM1842717



Chander
VINOD CHANDAK
 Chartered Engineer
 Membership No. AM1842717

COMPLETION CERTIFICATE

Name of the Chartered Engineer	:	ER. VINOD CHANDAK
Name of the Scheme	:	"BHUMIJA RESIDENCY" Residential Scheme
Address of the scheme	:	Khasra No. 580, 580/1, 1284/581, 1286/583, At Village Jaisinghpura Bas Bhankrota, Tehsil Sanganer, District Jaipur 302026
RERA Registration No. & Date	:	RAJ/P/2022/1936 (13/04/2022)
Total area of scheme	:	11288.0 Sqm.
Saleable Area of scheme	:	6743.31 Sqm.
Scheme Inspection on Dated	:	22/04/2022
Contact No.	:	+91 9799801708

Summary of development works completed by the developer till the date of inspections is given in the following heads:-

A. Road work

Status of work:

GSB & WMM (1st & 2nd Layer): Work is completed

Interlocked paver block (3rd Layer): Work is completed

B. Sewer Line

Status of work: Work is completed

C. Water Supply

Status of work: Phase-1st Work is completed

Phase-2nd Work is completed

D. Electrification

Status of work: Work is completed

E. Drainage & Water Harvesting

Status of work: Work is completed

F. Development of Parks

Status of work: Work is completed

G. Street Lighting

Status of work: Work is completed

H. Plantation

Status of work: Work is completed

I. Ducting : Status of work: Work is completed


VINOD CHANDAK
Chartered Engineer
Membership No. AM1842717

Summary of development charges against which various works have been completed by the developer in the scheme of "Bhumija Residency"

S. No.	Type of Development Work	Phase/ Description	Charges / weightage as per Govt. orders	Work Done (in %)	Work Done at the time of visit in amount/Sqm.
1	Road work	1st & 2nd Layer GSB & WMM	25	100.00%	25.0
		3rd Layer Interlocked paver block, Grade M30	35	100.00%	35.0
2	Sewer Line		30	100.00%	30.0
3	Water Supply	Phase I	21	100.00%	21.0
		Phase II	35	100.00%	35.0
4	Electrification		45	100.00%	45.0
5	Drainage & Water Harvesting		25	100.00%	25.0
6	Development of Parks		20	100.00%	20.0
7	Street Lighting		5	100.00%	5.0
8	Plantation		4.5	100.00%	4.5
9	Ducting		4.5	100.00%	4.5


VINOD CHANDAK
 Chartered Engineer
 Membership No. AM1842717

CIRCULARS:-

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

दिनांक: 1-12-2005

क्रमांक: जविप्र/असा/पूर्व/2003/डी-1674

आदेश

राजस्थान में आवासीय परियोजनाओं/ टाउनशिप विकसित करने के लिए निजी निवेश की नीति के तहत नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग द्वारा जारी अधिनियम दिनांक: 1.1.2002 एवं 15.1.2002 के खम में दूर काशीलय द्वारा जारी आदेश क्रमांक: जविप्र/ असा/ पूर्व/ 2003/ डी-715 दिनांक: 18.6.2003 से निजी खातेदार/ विकासकर्ताओं की आवासीय योजनाओं हेतु दिशा-निर्देश जारी किये गये थे। उक्त दिशा-निर्देशों में एतद द्वारा निम्नांकित बिन्दुओं में संशोधन एवं परिवर्धन किया जाता है एवं शेष दिशा-निर्देश आदेश दिनांक: 18.6.2003 के अनुसार यथावत रहते जाते हैं -

निजी खातेदार/ विकासकर्ता की आवासीय योजनाओं में विभिन्न विकास कार्यों के लिए प्लॉट एरिया के आधार पर निम्न शुल्क निर्धारित किये जाते हैं -

(1) आवासीय विकास हेतु -

क्र.सं.	विवरण	दर रुपये में प्रति वर्ग मीटर विकस्य योग्य क्षेत्रफल पर	टिप्पणी
1	आवासीय सड़कों का निर्माण कार्य (अ) दो लेयर डबल्यू.वी.एम. सड़कें (ब) तीसरी लेयर एवं बान्नीकरण	25.00 ✓ 35.00 ✓	यह कार्य निजी विकासकर्ता द्वारा अपने हिसाब पर पूर्ण प्राधिकरण के निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप करवाया जा सकते हैं।
2	सीवर लाइन का कार्य	30.00	सीवर लाइन का कार्य प्राधिकरण के द्वारा ही करवाया जाएगा। अतः अधिवास प्रमाण पत्र से पूर्व यह राशि प्राधिकरण में जमा करवानी होगी।
3	जल आपूर्ति का कार्य प्रथम चरण : जल आपूर्ति लाइनें एवं ट्यूब वेलों का निर्माण द्वितीय चरण : जल उत्पादन, पानी की ओवर ईन्ड टकी एवं भूमिगत जलाशय	21.00 ✓ 35.00	- भविष्य में जल आपूर्ति का समस्त कार्य प्राधिकरण के द्वारा ही करवाया जाएगा। - वर्तमान में प्रथम चरण का कार्य निजी निवेशकर्ता द्वारा जन स्वास्थ्य अभियंत्रिकी/ प्राधिकरण से योजना का अनुमोदन कराकर कर सकेगा। - द्वितीय चरण के कार्य की राशि प्राधिकरण में जमा करवानी होगी।

4	विद्युतीकरण का कार्य: लाइन डालने का कार्य मय जे.पी.वी. एन.एल. में जमा होने वाली राशि	45.00 J	इस कार्य को निजी विकासकर्ता द्वारा अपने स्तर पर जे.पी.वी. एन.एल. के निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप करवाया जा सकता है तथा निजी विकासकर्ता द्वारा उक्त कार्य को जयपुर विद्युत वितरण निगम हस्तांतरित करने के उपरान्त ही अधिवास प्रमाण पत्र जारी किया जा सकेगा। ऐकल्पिक तौर पर निजी विकासकर्ता यह राशि प्राधिकरण में जमा करा सकेगा।
5	नालियों एवं वाटर हार्डवेयरिंग का कार्य।	25.00 J	यह कार्य प्राधिकरण द्वारा ही करवाया जाएगा। अतः यह राशि प्राधिकरण में जमा करानी होगी।
6	सड़कों का विकास कार्य।	20.00 J	यह कार्य निजी विकासकर्ता द्वारा अपने स्तर पर भी प्राधिकरण के निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप करवाया जा सकते हैं।
7	स्ट्रीट लाइट का कार्य।	5.00 J	यह कार्य निजी विकासकर्ता द्वारा अपने स्तर पर भी प्राधिकरण के निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप करवाया जा सकते हैं तथा अधिवास प्रमाण पत्र के जारी होने से पहले जयपुर नगर निगम को सम्मिलित होना होगा। ऐकल्पिक तौर पर निजी विकासकर्ता / खातेदार स्ट्रीट लाइट के कार्य की राशि जयपुर विकास प्राधिकरण में जमा करा सकेगा।
8	प्लासरोपण का कार्य	4.50 J	यह कार्य निजी विकासकर्ता द्वारा अपने स्तर पर भी प्राधिकरण के निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप करवाया जा सकते हैं।
9	सड़कों में सविरोज के लिए डबल डालने का कार्य या सविरोज के लिए काली याई सड़कों की मरम्मत	4.50 J	सड़क में सविरोज को सड़क काटकर भूमिगत किया जा रहा है। अतः इनकी मरम्मत का कार्य जो भविष्य में आवश्यक होगा, को प्राधिकरण द्वारा ही करवाया जाएगा। अतः यह राशि प्राधिकरण में जमा करानी होगी।
कुल		250.00	

स्वीकृतिकरण :

- (i) आंतरिक विकास हेतु जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा प्रसारित आदेश क्रमांक: जेडई-9/ जेडीए/ सी-661 दिनांक: 14.7.2005 के द्वारा विनिर्दिष्टों का निर्धारण किया हुआ है जिसे प्रमुख आधार माना जाएगा किन्तु स्थायी परिस्थितियों के अनुसार इसमें यदि किसी छूट/ शिथिलीकरण की आवश्यकता महसूस की जाती है तो इस संबंध में निर्णय निदेशक-अभियांत्रिकी के माध्यम से आयुक्त स्तर से किया जायेगा।
- (ii) आज दिनांक से पूर्व उपरोक्त आंतरिक विकास की गरी में अंकित कार्य जो प्राधिकरण के स्तर से करवाये जाने निर्दिष्ट किये गये हैं यदि किसी निजी खातेदार/ विकासकर्ता द्वारा योजना क्षेत्र में निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप करवाये जा चुके हैं तो उन मयों के लिए प्राधिकरण को कोई राशि देय नहीं होगी। साथ ही यदि किसी विकासकर्ता / निजी खातेदार द्वारा आंतरिक विकास शुल्क की किसी मद के पेटे राशि प्राधिकरण में आज दिनांक से पूर्व जमा करवा दी है एवं उस मद से संबंधित आंतरिक विकास भी स्वयं के स्तर पर योजना क्षेत्र में निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप पूर्ण करवाया जा चुका है तो वह राशि अन्य आंतरिक विकास की मद के रूप में समाविष्ट की जा सकेगी।
- (iii) सड़क की चौड़ाई निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप नहीं होने पर कुल कम चौड़ाई का डब्ल्यू.बी.एम. सड़क के लिए रुपये 110.00 प्रति वर्ग मीटर तथा डब्ल्यू.बी.एम. की तीसरी लेयर मय पेवर द्वारा डामरीकरण के लिए रुपये 120.00 प्रति वर्ग मीटर की दर से निजी विकासकर्ता/ खातेदार द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण में जमा कराना होगा।
- (iv) बिन्दु संख्या 3 के संबंध में जलापूर्ति का कार्य वैकल्पिक तौर पर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधीक्षण अभियंता, शहर/ग्रामीण वृत्त के कार्यालय से अनुमति लेकर निजी विकासकर्ता / खातेदार द्वारा किया जा सकेगा।

(2) परिधि य विकास एवं रूपान्तरण/ नियमन शुल्क -

क्र.सं.	विवरण	शुल्क दर रु. प्र.व.मीटर	विशेष विवरण
1	पारिधीय विकास	50.00	
2	रूपान्तरण/ नियमन शुल्क	राज्य सरकार द्वारा निर्धारित जोन क्षेत्र की नियमन दरें	

स्वीकृतिकरण :

- (i) जयपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति (E.C.) दिनांक: 29.10.05 में निजी विकासकर्ताओं/ खातेदारों की आवासीय योजनाओं की लीज मनी के लिए आरक्षित दर उक्त योजना की नियमन / रूपान्तरण दर को घोषित किया गया है, अतः उक्त निर्णय के क्रम में राज्य सरकार की अनुमति के अधधीन इन योजनाओं हेतु लीज मनी नियमन दर का आवासीय नियमन हेतु 2.5 प्रतिशत एवं व्यावसायिक नियमन हेतु 5 प्रतिशत निर्धारित की जाती है।

विकासकर्ता / निजी खातेदार द्वारा आंतरिक विकास कार्य स्वयं नहीं करवाने पर उन्हें आंतरिक विकास शुल्क 250/- रु. प्र.व.मी. की दर से जॉन्ट एरिया के आधार पर जयपुर विकास प्राधिकरण में जमा करवाना होगा। इस शुल्क में आंतरिक विकास की जिन मदों का समावेश किया गया है वे संशोधित बिन्दु संख्या 7 के अनुसार होगी। यह राशि जमा होने पर योजना का आंतरिक विकास कार्य जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा करवाया जायेगा। इस स्थिति में अधिवास प्रमाण पत्र की अलग से कोई आवश्यकता नहीं होगी। विकासकर्ता/ खातेदार द्वारा जमा करवाई जाने वाली आंतरिक विकास शुल्क की राशि आंतरिक विकास फण्ड में जमा होगी जिसे व्यय करने के लिए अलग से वित्तीय स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी। योजना के आंतरिक विकास कार्य में

जोमत अभियंता द्वारा जमा राशि का 90 प्रतिशत तक खर्च करवा जायेगा।

99- यदि निजी खातेदार योजना में आंतरिक विकास स्वयं करता है तो उसे जयपुर विकास प्राधिकरण की अभियांत्रिकी शाखा से अधिवास प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा। जल आपूर्ति व्यवस्था संबंधी कार्यों का परीक्षण जयपुर स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधीक्षण अभियंता, शहर/ग्रामीण मूल के कार्यालय द्वारा किया जाकर इस कार्य संबंधी पूर्णता प्रमाण पत्र उनके द्वारा ही जारी किया जायेगा। यदि निजी खातेदार द्वारा योजना क्षेत्र में करवाये गये विकास कार्य जयपुर विकास प्राधिकरण के मानक्यों के अनुरूप नहीं होता है तो अधिवास प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकारी द्वारा शेष रहे आंतरिक विकास का मूल्य निर्धारित किया जायेगा और निजी खातेदार/विकासकर्ता को जयपुर विकास प्राधिकरण में जमा कराना होगा तभी अधिवास प्रमाण पत्र जारी किया जा सकेगा। अधिवास प्रमाण पत्र आवेदन करने के 30 दिवस में जारी किया जायेगा। किंतु यदि इस प्रकार पाये गये अपूर्ण विकास कार्य को भी निजी खातेदार/विकासकर्ता स्वयं अपने खर्चे पर पूर्ण कराना चाहता है तो योजना क्षेत्र के कुल भूखण्डों के 12.5 प्रतिशत को दरादर क्षेत्रफल से भूखण्डों को प्राधिकरण में निहित रखा जायेगा तथा इन्हें विकास कार्य पूर्ण होने के समानुपात में आरक्षित दर से इनके मूल्य की गणना कर मुक्त किया जा सकेगा। उपरोक्तानुसार भूखण्ड प्राधिकरण में निहित करने के उपरान्त आंतरिक विकास के अपूर्ण होने की स्थिति में भी योजना का नियमन कैंप आयोजित किया जा सकेगा अथवा स्थितियों/कारणों में पट्टे दिये जा सकेंगे।

10. भूखण्डधारी को भूखण्ड कंठ करने हेतु वित्तीय संस्थानों से ऋण की आवश्यकता होती है जिसके लिए भूखण्ड का पट्टा होना आवश्यक है। कृषि भूमि के आवासीय उपयोग की प्रक्रिया में राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 सी के तहत खातेदार की भूमि जविप्रा के हफ में समर्पित हो जाती है। ऐसी स्थिति में खातेदार/भूखण्ड धरता द्वारा मांग किये जाने पर वित्तीय संस्थानों से ऋण हेतु अग्रापति प्रमाण पत्र संबंधित उपायुक्त द्वारा जारी किया जा सकेगा।

जयपुर विकास आयुक्त



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक:— जविप्रा/उपा./जोन-11/2022/डी-1708

दिनांक 22/6/22

मैसर्स भूमिजा रियल स्क्वायर एल.एल.पी.
जरिये पार्टनर श्री गंगा सिंह तंवर पुत्र श्री सहदेव सिंह
610, काउन स्क्वायर, गांधी पथ, वैशाली नगर,
जयपुर।

विषय:—निजी खातेदारी की आवासीय योजना "भूमिजा रेजीडेन्सी" ग्राम
जयसिंहपुराबास भांकरोटा तहसील सांगानेर जिला जयपुर, के भूखण्डों को
रहन मुक्त करने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आप द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर निजी
खातेदारी की आवासीय योजना "भूमिजा रेजीडेन्सी" ग्राम जयसिंहपुराबास भांकरोटा
तहसील सांगानेर जिला जयपुर में 12.5 प्रतिशत रहन रखे गये सम्पूर्ण भूखण्डों को रहन
मुक्त कर मूल योजना मानचित्र में टिप्पणी अंकित की जाकर योजना मानचित्र की प्रति
संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्न:— योजना मानचित्र की प्रति।


उपायुक्त जोन-11
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष-{+91-141-सम्बंधित कार्यालय}: ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन: {सम्बंधित कार्यालय}: फैक्स- +91-141-2574555

ई-मेल : {सम्बंधित अधिकारी का ईमेल}

PROPOSED LAY OUT PLAN OF "BHUMIJA RESIDENCY"

IN KHASRA NO.- 580, 580/1, 1284/581, 1288/583.

AT VILLAGE :- JAISINGHPURA BAS BHANKROTA, TEH.- SANGANER, JAIPUR.

J.D.A. APPROVED SCHEME
"HOMELAND VATSALYA"

ZDP ROAD 18.0 MT. WIDE

ZDP ROAD 18.0 M. WIDE

ZDP ROAD 18

1284/581

1288/583 ROAD 9.0 MT. WIDE

ROAD 9.0 MT. WIDE

ROAD 9.0 MT. WIDE

EXISTING ROAD 18.0 MT. WIDE

EXISTING ROAD 18.0 MT. WIDE

प्लॉट नं. 17/18 - 18/19 का उपखुल खंडों के लोहरी आगम
कोष्ठ में विचार करके के प्लॉट में से जो प्लॉट भूखंड
संख्या 581, 582 व 583 के भूखंड को 9.0 मी. की चौड़ाई
पर जोड़ दिया है।

सहायक, जल विभाग,
जयपुर

- एनोक्स संख्या 12 (319/11.3.2022) दिनांक-11 के अन्तर्गत सविनियोजित द्वारा विस्तृत विवरण निम्न
बातों के साथ जोन के अन्तर्गत अनुमति प्राप्त योजना "भूमिजा रेसिडेंसी" के जोनक मानचित्र
अनुमति प्राप्त करने का निर्देश दिया गया:-
1. योजना में सविनियोजित कर्तव्य को 10-ए का निर्देश दिनांक 20.10.2021 को पालन किया गया है।
 2. योजना का अनुमति प्राप्त की गई है (10.10) को 3.15 को डेपूट दिनांक 11.03.2022 को दिया गया, जिसकी
अनुमति नं. अनुमति प्राप्त की गई है।
 3. योजना मानचित्र सविनियोजित दिनांक-2022 के अन्तर्गत प्राप्त करने दिया गया है।
 4. कर्तव्य के अनुसार नं. विनियोजित कोष्ठक बन दिया गया है।
 5. योजना के अनुसार नं. मानचित्र-मानचित्र नगर विनियोजित-2022 के अनुसार बन रहे हैं।
 6. आगंतिक विस्तार कार्य के प्लॉट में 12.5 मीटर चौड़ाई के प्लॉट मुख्य चौड़ाई में प्लॉट बाई बाई है-
प्लॉट संख्या 581, 582, 583 प्लॉट का क्षेत्रफल 583.00 मीटर वर्ग रहे हैं।

ज.वि.प्रा.

सहायक मानचित्र

प्लॉट मानचित्र

विस्तार सुझाव

नगर विस्तार योजना 2022 के अनुसार नु. अर्द्ध
आवधिक सुझावों को निर्देश निम्न :-
1. नगर आवासीय भूखंड = 52
2. नगर व्यावसायिक भूखंड = 5-11

AREA ANALYSIS :-

S.No.	LAND USED	AREA IN (SQ.MTR.)	(%)
1.	RESIDENTIAL	6682.31	59.20 %
2.	RETAIL	61.00	0.54 %
TOTAL = 1 + 2		6743.31	59.74 %
3.	PARK	564.64	05.00 %
4.	S.W.M.	50.01	0.44 %
5.	MOBILE TOWER	20.04	0.18 %
6.	PU (TOILET)	10.00	0.09 %
7.	ZDP ROAD	639.78	05.67 %
8.	ROAD	3260.22	28.88 %
TOTAL = 3 TO 8		4544.69	40.26 %
SCHEME AREA		11288.00	100.00 %
		(01.1288 HECT)	

योजना की भूमि को उपखुल, सविनियोजित की योजना 582 ए की
कार्यवाही पर की गई है जो प्लॉट का अन्तर्गत करने द्वारा किया गया।
योजना की नु. नु. अन्तर्गत करने के निर्देश को नु. है।

नगर विभाग
को के सी / नु. नु. को जो केवल प्लॉट विस्तार
की अनुमति नं. योजना मानचित्र सविनियोजित का पालन किया गया।

योजना का नाम:-
PROPOSED LAY OUT PLAN OF
"BHUMIJA RESIDENCY"

AT VILLAGE :- JAISINGHPURA BAS BHANKROTA, TEH.- SANGANER, JAIPUR.
प्लॉट संख्या = 11
स्केल :- 1:500

सातवक
नगर विभाग

अति. सातवक
नगर विभाग

जयपुर विकास प्राधिकरण
CONSENT:-
Cad Max
PROJECTS (P) LTD.

CAD MAX PROJECTS PVT. LTD.
201, Nehru Road 1st Floor,
P.O. of Panchsheel Gardens,
14 Ganga Road, Jaipur
Aadhar No. 1020840001